



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 188-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023 (KARTIKA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अक्टूबर, 2023

संख्या 63/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे, इसमें, इसके, पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है, को ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की प्रदाय के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात्:—

- (i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक को उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से मालों की किसी अंतर-राज्यीय प्रदाय करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा;
 - (ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की प्रदाय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार सरकार को भुगतान करेगा ; और
 - (iii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की प्रदाय के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर-8 में विवरणी में प्रस्तुत करेगा।
2. यह अधिसूचना प्रथम अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 27th October, 2023

No. 63/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons paying tax under section 10 of the said Act (hereinafter referred to as the said person), namely: —

- (i) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;
 - (ii) the electronic commerce operator shall collect tax at source under sub-section (1) of section 52 of the said Act in respect of supply of goods made through it by the said person and pay to the Government as per provisions of sub-section (3) of section 52 of the said Act; and
 - (iii) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.